



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256498
CG-DL-E-20082024-256498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 213]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

फा. सं. 16017/6/2022-बीमा-I.—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 40 में यह परिकल्पना की गई है कि केंद्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के परामर्श से दिव्यांगजनों के लिए नियम तैयार करेगी जिनमें समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की गई अन्य सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, जानकारी और संचार व्यवस्था तक पहुंच के मानकों को निर्धारित किया जाएगा।

और जबकि, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बीमा क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं और सेवाओं तक दिव्यांगजनों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हितधारकों और मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के परामर्श से "बीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश" तैयार किये गये।

अब, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एतद्वारा "बीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश" को अधिसूचित करता है और यह <https://financialservices.gov.in> पर उपलब्ध है।

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2024

F. No. 16017/6/2022 Ins.I.—Whereas section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) envisages that the Central Government shall, in consultation with the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas;

And whereas, Department of Financial Services, Ministry of Finance, with intent to address accessibility needs of persons with disabilities in respect of the facilities and services pertaining to Insurance Sector, in consultation with the stakeholders and office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, formulated the "Accessibility Standards and Guidelines for infrastructure and services in Insurance Sector";

Now, Department of Financial Services, Ministry of Finance hereby notifies the "Accessibility Standards and Guidelines for infrastructure and services in Insurance Sector" and the same is available at <https://financialservices.gov.in>.

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.